फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/247 बअनवान पुनाराम वगैरा बनाम पुनाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.06.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 लगाये 04 बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 ने पूर्व में इकबालिया जवाबदावा पेश कर दिया है। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गुडाकल्याणसिंह पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 43 रकबा 4.7000 हैक्टर के चारों ओर बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में सीमांकन/पत्थरगढी के लिये खसरा नंबर 54 रकबा 0.8 हैक्टर किस्म गै.मु.पिचका से मुंतकिल पॉइन्ट कायम करके किया जाना वर्णित किया है, अतः तहसीलदार बाली आदेश की पालना के समय इस बिंदु का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

क्रमांकः कोर्ट/2025/796 दिनांक : 26.6.2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
पुनाराम पुत्र मोटाजी जणवा निवासी गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली वगैरा		पुनाराम पुत्र वनाजी जणवा निवासी गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2025/247

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम गुडा कल्याणसिंह पटवारी हल्का लाटाडा तहसील बाली के खसरा संख्या 43 रकबा 4.7000 हैक्टर के सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाली

क्रमांकः कोर्ट/2025/797-800 दिनांक : 26.6.2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सादडी
3. हल्का पटवारी लाटाडा को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. पुनाराम पुत्र मोटाजी जणवा निवासी गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाली

Scanned with CamScanner